

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय/संबंधित अधीक्षण अभियंता/
संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित उप निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल/
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक 21-7-14

विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 के मांग संख्या- 50 लघु सिंचाई विभाग, मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 लघु सिंचाई विभाग/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जाँच	460.320

कुल आवंटित राशि - चार करोड़ साठ लाख बात्तीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट उपबंध ₹ 8467.95 लाख (चौरासी करोड़ सड़सठ लाख पंचानबे हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(ओंकार नाथ)
सहा. अभि.(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. वित्तीय वर्ष 2014-15 से सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतनादि तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की निकासी वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


21/7/14
(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

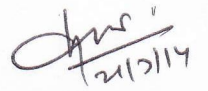
79

राँची, दिनांक :-

21-7-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/जमशेदपुर/सरायकेला/गुमला/खूँटी/सिमडेगा/गढ़वा/हजारीबाग/देवघर/दुमका/गोड्डा/पाकुड़/साहेबगंज/जामताड़ा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


21/7/14
(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

79

राँची, दिनांक :-

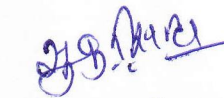
21-7-14

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि०/ सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(ऑंकार नाथ)
सहा. अभि.


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


21/7/14
(अविनाश कुमार)
सचिव

मांग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग

मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल
लघु शीर्ष-005 अन्वेषण/उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉच

परिशिष्ट I

पत्रांक 79 दिनांक 21-7-14 का अनुलग्नक

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2014-2015		विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय					विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वेतन	एल0टी0सी0	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	मोटरगाड़ियां	विधि प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	पूर्व का आवंटन	10.000	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.050	0.000	0.400	0.000	11.050					
अतिरिक्त आवंटन		0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.150	0.000	0.500	0.000	0.950					
कुल आवंटन		10.000	0.000	0.000	0.300	0.600	0.600	0.000	0.200	0.000	0.900	0.000	12.000					
2	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, रौंछी	पूर्व का आवंटन	142.000	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.050	0.000	0.400	0.000	143.050					
अतिरिक्त आवंटन		0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.150	0.000	0.500	0.000	0.950					
कुल आवंटन		142.000	0.000	0.000	0.300	0.600	0.600	0.000	0.200	0.000	0.900	0.000	144.000					
3	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल-रौंछी	पूर्व का आवंटन	154.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	154.750					
अतिरिक्त आवंटन		35.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.250	0.300	0.100	0.000	0.400	0.050	36.400					
कुल आवंटन		189.000	0.300	0.000	0.200	0.200	0.450	0.300	0.150	0.000	0.700	0.050	191.150					
4	लघु सिंचाई प्रमंडल-खूँटी	पूर्व का आवंटन	166.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	166.750					
अतिरिक्त आवंटन		120.520	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.050	0.000	0.300	0.000	121.370					
कुल आवंटन		286.520	0.000	0.000	0.200	0.200	0.400	0.300	0.100	0.000	0.600	0.000	288.120					
5	लघु सिंचाई प्रमंडल-गढ़वा	पूर्व का आवंटन	112.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	112.750					
अतिरिक्त आवंटन		0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.200	0.000	0.000	0.300	0.100	0.800					
कुल आवंटन		112.000	0.000	0.200	0.200	0.400	0.400	0.200	0.050	0.000	0.600	0.100	113.550					
6	लघु सिंचाई प्रमंडल-गोड्डा	पूर्व का आवंटन	149.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	149.750					
अतिरिक्त आवंटन		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.100	0.000	0.300	0.000	0.900					
कुल आवंटन		149.000	0.000	0.200	0.200	0.400	0.400	0.300	0.150	0.000	0.600	0.000	150.650					
7	लघु सिंचाई प्रमंडल-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	272.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	272.750					
अतिरिक्त आवंटन		164.380	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.100	0.000	0.300	0.000	165.280					
कुल आवंटन		436.380	0.000	0.200	0.200	0.400	0.400	0.300	0.150	0.000	0.600	0.000	438.030					
8	लघु सिंचाई प्रमंडल-जामताड़ा	पूर्व का आवंटन	121.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	121.750					
अतिरिक्त आवंटन		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.300	0.000	0.800					
कुल आवंटन		121.000	0.000	0.200	0.200	0.400	0.400	0.300	0.050	0.000	0.600	0.000	122.550					
9	लघु सिंचाई प्रमंडल-रौंछी	पूर्व का आवंटन	268.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	268.750					
अतिरिक्त आवंटन		0.000	0.000	1.630	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	2.130					
कुल आवंटन		268.000	0.000	1.630	0.200	0.400	0.400	0.000	0.050	0.000	0.600	0.000	270.880					

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभिनव)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभिनव)

(अविनाश कुमार)
सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2014-2015		विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय					विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	एल0टी0सी0	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रभार	कुल योग	अभिव्यक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10	लघु सिंचाई प्रमंडल-साहेबगंज	विपन्न कोड	50N27020200 5010101	50N27020200 5010112	50N27020200 05010145	50N27020200 5010213	50N27020200 5010315	50N27020200 5010323	50N27020200 005010333	50N27020200 05010334	50N270202005 010442	50N27020200 05010760			
		पूर्व का आवंटन	172.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	172.750	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.700	
11	लघु सिंचाई प्रमंडल-सिमडेगा	कुल आवंटन	172.000	0.000	0.000	0.400	0.400	0.000	0.050	0.000	0.600	0.000	173.450		
		पूर्व का आवंटन	98.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	98.750		
		अतिरिक्त आवंटन	12.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	12.500	
12	लघु सिंचाई प्रमंडल-हजारीबाग	कुल आवंटन	110.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.050	0.000	0.600	0.000	111.250		
		पूर्व का आवंटन	146.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	146.750		
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.100	0.000	0.300	0.100	0.700	
13	निदेशक , भूगर्भ जल निदेशालय,रौंची	कुल आवंटन	146.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.150	0.000	0.600	0.100	147.450		
		पूर्व का आवंटन	27.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	27.800		
		अतिरिक्त आवंटन	3.000	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.200	0.000	0.000	0.700	0.000	4.500	
14	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल-दुमका	कुल आवंटन	30.000	0.000	0.000	0.500	0.550	0.000	0.250	0.000	1.000	0.000	32.300		
		पूर्व का आवंटन	22.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	22.700		
		अतिरिक्त आवंटन	11.500	0.000	0.000	0.000	0.150	0.150	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	11.950	
15	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल-रौंची	कुल आवंटन	33.500	0.000	0.000	0.200	0.350	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	34.650		
		पूर्व का आवंटन	44.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	44.750		
		अतिरिक्त आवंटन	62.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.250	0.050	0.000	0.400	0.000	62.950		
16	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल-हजारीबाग	कुल आवंटन	106.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.250	0.100	0.000	0.700	0.000	107.700		
		पूर्व का आवंटन	14.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	14.750		
		अतिरिक्त आवंटन	36.740	0.150	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	37.440	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		50.740	0.150	0.000	0.200	0.400	0.000	0.100	0.000	0.600	0.000	52.190		
			445.140	0.450	1.630	0.500	3.550	1.950	1.050	0.000	5.800	0.250	460.320		

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये चार करोड़ साठ लाख बत्तीस हजार मात्र

(ऑफर नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(अविनाश कुमार)
सचिव

79
21-7-14